



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AB 386979

१० रुपये क्रमीय रुपये चौथी विधानसभा
कालीगढ़ - करानगर
पंचवार्षीय नियोजन
निकायली



प्रधानमंत्री
नियोजन विभाग
कालीगढ़

नियमावली

- | | | |
|---|---|--|
| 1. संस्था का नाम | : | सर्वाधिक राज क्षेत्री शिक्षा समिति काम्पानगंज बसठी |
| 2. संस्था का पूरा नाम | : | प्रामाण व घोरट—काम्पानगंज जनपद—बसठी ५०५८३-५०५९ |
| 3. संस्था का कार्यक्षेत्र | : | सम्पूर्ण उत्तर ब्रह्मेश |
| 4. संस्था का उद्देश्य | : | सृजनी—पत्र के अनुसार |
| 5. संस्था के सदस्यता
ग्राम सदस्यों के बर्ग | : | संस्था के दो इकाइ के सदस्य होंगे |



साधारण सदस्य जो व्यक्ति प्रवृत्ति के लिये के अनुसार बदलते हों, पामल या दुरुचारी न हो संस्था के कार्यों संसाके हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में लें रुपि रहता हो तथाएँ ५१/-—पत्र इर्विंगी सदस्यता शुल्क देने पर साधारण सदस्य बन सकता है।

साधारण सदस्य की शमशत अहर्तारी की पूर्ति बनते हुए एक मुक्त तथाएँ १०५/-—या इससे अधिक या न्यून अवका दोनों निरवार्यमाव से देने पर आजीवन सदस्य बनाया या सकता है।

दिव्यालिङ्गित दशाओं में सदस्यता की समाप्त हो सकती है—

सदस्यता हेतु अपेक्षित अहर्तारी न होने पर।

संस्था के हितों को हानि पहुँचाई हो।

संस्था हो जाने पर अवका तथाएँ पत्र देने पर।

किसातार तीन बैठकों ने भाग न लेने पर।

सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

संस्था के हितों या उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लेंगे न रखने पर।

संस्था के दो अंग होंगे—

१— साधारण सभा

२— प्रबन्धकारिणी समिति

६. साधारण सभा :

अ—गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के समस्त सदस्य संघों के २/३ सदस्यों द्वारा होगा।

ब—बैठक :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सत्र दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना २४ घंटे पूर्व दी जायेगी।

सूचना जायेगी :

सामान्य निकाय की बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी।

विशेष बैठक की सूचना २४ घंटे पूर्व दी जायेगी।

सामान्य निकाय के २/३ सदस्य परन्तु १५ सदस्य से कम नहीं

सामान्य बैठक की गणपूर्ति होगी।

प्राप्तिरूप :



(2)

विशेष/वार्षिक अधिकारण की लिखि आदि:-

- 1- विशेष अधिकारण में एक गाह पूर्व सूचना के आधार पर कभी भी हो सकेगा, परन्तु वार्षिक अधिकारण विस्तीर्ण विशेष परिसिद्धियों की ओर कल प्रत्येक दशा में गाह जून में होगा।

१. साधारण सभा के कर्तव्य व अधिकारी :

- 1- संसद का कार्य सदस्य सदस्यता के अधिकारी का प्रयोग करने वाले तक तक हकदार न होगा जब तक प्रौढ़पना पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे और संसद का ऐसा भुगतान न कर दे जो संसद के सम्बन्ध में आवश्यक हो।

- 2- संसद की समस्त नीतियों का निर्धारण साधारण सभा की बैठकों द्वारा ही किया जायेगा।

- 3- संसद के प्रति किसी भी सदस्य का चाहे जितना भी योगदान क्षमी न हो उसे एक ही बैठक का अधिकार होगा।
सदस्य का यह अधिकार सभी गाना जायेगा जब वह बैठक में स्वयं उपस्थिति हो।

- 4- प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार होगा कि वह संसद द्वारा घोषित गये समस्त कार्यक्रमों में इस आधार पर कार्य करेगा जिसे प्रबन्धकारिणी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा (जिसमें 6 पदाधिकारी और 5 सदस्य होंगे कुल संख्या 11 होनी) द्वारा किया जायेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रतिष्ठान अधिकार सदस्यता घड़ने पर विशेष बैठक कभी भी कुलायी जा सकेगी।


प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक 7 दिन पूर्व से 2 दिन पूर्व तक दी जा सकेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों को निलानन गानी जायेगी।

५- रिक्त सदानों की पूर्ति: गवाहील किये जाने अथवा कुलाय द्वारा सिर्फ स्थाना की पूर्ति उसके शोषकात के अनुसार की जायेगी।

६- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- 1- वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण
वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण



(3)

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम यह, पद तथा व्यवसाय
जिनकी संस्था को इस समृद्धि-पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यनार सौंपा गया—

क्रम संख्या	नाम	स्थिति / पद / पदाधिकारी	पद	पद	उ
1	श्री देवी	श्री दयानन्द चौधरी	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	अध्यक्ष	गृहणी
2	श्री दयानन्द चौधरी	श्री रामलय चौधरी	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	प्रबन्धक	कृषि
3	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री रामलय चौधरी	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	मंत्री	कृषि
4	शोभा देवी	नरेन्द्र कुमार	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	कार्यपाल	गृहणी
5	श्री राम कुमार चौधरी	श्री रामलय चौधरी	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	आम-व्यय	कृषि
6	पूर्ण देवी	श्री रामलय चौधरी	साम व पौड़— नियमिति किला— बसती	सदस्य	गृहणी
7	श्री रमेश चौधरी	श्री राम सरन चौधरी	साम— जागदीश्वर पौड़— गोदावरीपाटा जिला— बसती	सदस्य	कृषि
8	कुमा देवी	श्री रामनन्द प्रसाद	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	सदस्य	गृहणी
9	सानी देवी	श्री राम कुमार चौधरी	साम व पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	सदस्य	गृहणी
10	श्री नरेन्द्र प्रसाद	श्री राम प्रसाद	साम— चैत्यगढ़, पौड़— कल्पानगर जिला— बसती	सदस्य	कृषि
11	श्री बद्रीनाथ सिंह	श्री विकनन सिंह	साम व पौड़— कुरुक्षेत्र जिला— बसती	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस समृद्धि-पत्र तथा सलंगन नियमावली के अनुसार लोकार्थीय उपजनक्षेत्र एकट 1890 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

श्री देवी
नरेन्द्र कुमार
राम कुमार चौधरी
पूर्ण देवी
कुमा देवी
कुरुक्षेत्र
बद्रीनाथ सिंह

सत्य— श्री विकनन
विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह

श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह
श्री विकनन सिंह